

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 218  
विषय:- सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

स.क्र.	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि एवं पत्र क्रमांक (राशि करोड़ में)	रूपांकित सिंचाई (रबी) क्षमता (है० में)	निर्माण एजेन्सी का नाम, अनुबंध क्र. एवं राशि (करोड़ में)	योजना पूर्ण नहीं होने का कारण/ स्थिति	कानियों की पूर्ति के लिए विभाग द्वारा किये गए प्रयास का विवरण	योजना पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमांक
1	आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना	162.66 पत्र क्र.22(ए)/349-26 / 2018 /एमपीएस/31 / 1746 मोपाल दिनांक 4.10.2018	5	मेसर्स मटेना कन्स्ट्रक्शन (मिसर्स मटेना वशिष्ठ माईको जे.सी) प्राइवेट लिमिटेड हैदाराबाद तेलंगाना, रू. 93.90	7 1-मू-अर्जन प्रकरण का अवाई पारित होकर भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2-वन प्रकरण प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 21.8.2023 को प्राप्त हुई है एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति अपेक्षित है। 3-पर्यावरण स्वीकृति, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण में परीक्षणधीन है।	8 1- अवाई पारित होकर भुगतान की कार्यवाही जारी है। 2- वन प्रकरण द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु वन विभाग में समन्वय कर, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 3- राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण के द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।	9 नवम्बर-2025	10 वन एवं पर्यावरण प्रकरण की स्वीकृति पर्याप्त निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।
2	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना	292.38 पत्र क्र.22(ए)/349-10 / 2018 /एमपीएस/31 / 1748 मोपाल दिनांक 4.10.2018	9990	वन, पर्यावरण, वन्यप्राणी प्रकरण एवं मू-अर्जन प्रकरणों की स्वीकृति के पर्याप्त निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।	परियोजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में नौरादेही अन्याय (शान्ति दुर्गावती टाइगर रिजर्व) की भूमि प्रभावित होने के कारण आवश्यक स्वीकृतियों जैसे वन प्रकरण, पर्यावरण प्रकरण, वन्यप्राणी प्रकरण एवं मू-अर्जन प्रकरण की स्वीकृतियाँ प्रक्रियाधीन है।	स्टेज-1 वन प्रकरण 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष मू-प्रबंध) के द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण दिनांक 30.11.2023 को वनमंडलाधिकारी नौरादेही को प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में प्रकरण वनमंडलाधिकारी नौरादेही सागर के स्तर पर परीक्षणधीन है। पर्यावरण प्रकरण- पर्यावरण प्रकरण स्वीकृति हेतु एजेन्सी के निर्धारण के लिये पांचवी बार निविदा आमंत्रित की गयी है। निविदा स्वीकृति की कार्यवाही जारी है। वन्यप्राणी प्रकरण- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण दिनांक 20.12.2023 को वनमंडलाधिकारी नौरादेही सागर को प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण वनमंडलाधिकारी नौरादेही सागर के स्तर पर परीक्षणधीन है।	नवम्बर-2027	वन, पर्यावरण, वन्यप्राणी प्रकरण एवं मू-अर्जन प्रकरणों की स्वीकृति के पर्याप्त निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।
3	मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना	रुपये- 231.78 चिन्हित परियोजना	7200	-	मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद परियोजना निबंधन विभाग वृहद परियोजना निबंधन विभाग मंडल मोपाल के पत्र क्र. वृपनिम म./साधि.स-69/31/2023/245 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रशासकीय स्वीकृति हेतु वृहद परियोजना निबंधन विभाग मंडल मोपाल/मुख्य 2023 के द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रशासकीय स्वीकृति हेतु वृहद परियोजना निबंधन विभाग मंडल मोपाल/मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	मू-अर्जन प्रकरण-आवंटन के अभाव में खूब में प्रभावित 7 ग्रामों की धारा-11 की कार्यवाही व्यपगत हो चुकी है। वर्तमान में क्लेक्टर पी.डी. खाते में रू. 4625.00 लाख की राशि जमा की जा चुकी है। मू-अर्जन की कार्यवाही पुनः प्रक्रियाधीन है।	-	-

[ 12/2/2024 ]




उप सचिव

म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग

मुख्य अभियंता  
धसान केन कछार सागर